

अनुदान संख्या 89 – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 89 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	7342,60,00		
			9842,39,00	9793,36,16
पूरक	Supplementary	2499,79,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			49,02,84
				49,60,55
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	407,40,00		
			407,41,00	277,40,00
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			130,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹4960.55 लाख) ₹4902.84 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹4960.55 lakhs) exceeded the overall savings of ₹4902.84 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	77154.00		
पू.	S.	5002.00	57619.21	57679.12
पु.	R.	-24536.79		+59.91
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	32746.00		
पू.	S.	10652.00	40426.81	40426.80
पु.	R.	-2971.19		-0.01
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	30451.00		
पू.	S.	1352.00
पु.	R.	-31803.00		..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	587305.00		
पू.	S.	232973.00	874847.10	874847.09
पु.	R.	54569.10		-0.01

(I) ₹31804.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2019 में प्राप्त ₹1352.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹31008.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

- (का) "समाज कल्याण – मद्यनिषेध" –
- (क) "मद्यव्यसनिता और पदार्थ (औषधि) दुरुपयोग की रोकथाम" – ₹580.00 लाख;
- (ख) "मद्यव्यसनिता रोकथाम संबंधी राष्ट्रीय नीति" – ₹1555.00 लाख;
- (खा) "समाज कल्याण – स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" – ₹600.00 लाख;
- (गा) "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम – सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹650.00 लाख;
- (घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –
- (क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – आर्थिक विकास" – ₹2000.00 लाख;
- (ख) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹9473.00 लाख (₹1352.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (डा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा" –
- (क) "अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त घुमन्तु जनजातियों तथा अर्धघुमन्तु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹15120.00 लाख; और
- (ख) "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए स्कीम" – ₹1030.00 लाख।

(I) Provision of ₹31804.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1352.00 lakhs obtained in February, 2019) remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹31008.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

- (A) "Social Welfare - Prohibition"-
- (a) "Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse"- ₹580.00- lakhs;
- (b) "National Policy on Prevention of Alcoholism"- ₹1555.00 lakhs;
- (B) "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged"- ₹600.00 lakhs;
- (C) "Social Welfare - Other Programmes - Information and Mass Education Cell" - ₹650.00 lakhs;
- (D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-
- (a) "Welfare of Scheduled Castes - Economic Development"- ₹2000.00 lakhs;
- (b) "Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹9473.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1352.00 lakhs);
- (E) "Welfare of Backward Classes- Education"-
- (a) "Scheme for Development of Other Backward Classes and Denotified Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes" - ₹15120.00 lakhs; and
- (b) "Scheme for Development of Economically Backward Classes" - ₹1030.00 lakhs.

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग” – ₹1452.45 लाख की बचत (₹2940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोचिंग संस्थानों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹6000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जातियों हेतु अध्येतावृत्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा” – ₹881.93 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3430.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घ) “अनुसूचित जातियों तथा अन्य श्रेणियों के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति” – ₹902.88 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) “महिला छात्रावास” – ₹3785.95 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2225” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Free Coaching for SCs”- saving of ₹1452.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2940.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Coaching Institutes.

(b) National Fellowship for SCs - saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by University Grants Commission towards fellowship for SCs

(c) “Top Class Education for SCs”- saving of ₹881.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3430.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2018) was due to receipt of less demand from Institutes.

(d) “Scholarship to Students of Scheduled Castes and other Categories for Studies Abroad”- saving of ₹902.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less demand from Scheduled Castes Students studying abroad for higher studies.

(e) “Girls Hostel”- saving of ₹3785.95 lakhs (against the sanctioned provision of

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) “अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹1292.44 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4900.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(छ) “डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र” – ₹937.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्र द्वारा कम कार्यकलाप लिए जाने के कारण हुई।

(ज) “अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” – ₹5177.96 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के जरिए भुगतान को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹8000.30 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11000.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य पिछड़े वर्गों तथा अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अध्येतावृत्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “मद्यनिषेध – मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य” – ₹3124.92 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19045.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषधि दुर्व्यसन

₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(f) “Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes” - saving of ₹1292.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4900.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in February, 2019) was due to less receipt of complete proposals from the Voluntary Organisations.

(g) “Dr. B.R. Ambedkar National Centre” - saving of ₹937.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to taking up of less activities by the Centre.

(h) “Pre Matric Scholarship for SCs” - saving of ₹5177.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to non-materialization of release through Direct Benefit Transfer Mode.

(B) “Welfare of Backward Classes - Education - National Fellowship for OBCs and EBCs” - saving of ₹8000.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11000.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in February, 2019) was due to requirement of less funds by University Grants Commission towards fellowship for OBCs and EBCs.

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Prohibition - Education work for Prohibition” - saving of ₹3124.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19045.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh

संबंधी राष्ट्रीय नीति की स्कीम में राज्य सरकारों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) “अन्य कार्यक्रम – सूचना तथा जन शिक्षा प्रकोष्ठ” – ₹1747.74 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5851.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य कमजोर समूहों (अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों सहित) के विकास के लिए कार्यक्रम” – के अंतर्गत ₹10336.85 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹131651.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹734.52 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 89 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹71522.76 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹248625.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष “2225” –

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियां” – ₹596.34 लाख।

obtained in December, 2018) was due to requirement of less funds by State Governments in the scheme of National Policy on Drug Abuse.

(B) “Other Programmes - Information and Mass Education Cell” - saving of ₹1747.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5851.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019); and

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share - Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)” - saving of ₹10336.85 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹131651.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under two heads savings of ₹734.52 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 13 percent and 89 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹71522.76 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹248625.00 lakhs in July, 2018 and December, 2018 - under the following major heads:-

(I) Major Head “2225” -

(A) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Post Matric Scholarships” - ₹596.34 lakhs.

- (ख) “हाथों से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम” – ₹1615.90 लाख।
- (ग) “डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक” – ₹436.90 लाख।
- (खा) “पिछड़ी जातियों का कल्याण” –
- (क) “शिक्षा – लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास” – ₹338.66 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹338.65 लाख था।
- (ख) “अन्य व्यय – पिछड़ी जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता” – ₹1300.00 लाख।
- (II) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण” –
- (का) “सुधारात्मक सेवाएं – राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान” – ₹1221.60 लाख।
- (खा) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” – ₹1107.41 लाख।
- (III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम” – ₹64905.95 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹64905.94 लाख था।
3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-
- (b) “Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers” - ₹1615.90 lakhs.
- (c) “Dr. Ambedkar National Memorial” - ₹436.90 lakhs.
- (B) “Welfare of Backward Classes”-
- (a) “Education - Boys and Girls Hostel” - ₹338.66 lakhs. Actual excess, however, was ₹338.65 lakhs.
- (b) “Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes” - ₹1300.00 lakhs.
- (II) Major Head “2235” - “Social Welfare”-
- (A) “Correctional Services - National Institute of Social Defence” - ₹1221.60 lakhs.
- (B) “Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged” - ₹1107.41 lakhs.
- (III) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - ₹64905.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹64905.94 lakhs.
3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष “4225”	Head Major Head “4225”
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities
मू.	O. 40740.00
पू.	S. 1.00
पु.	R. -13001.00

27740.00	27740.00	..
----------	----------	----

(I) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को उद्यम पूंजीगत निधि” के अंतर्गत – ₹13001.00 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(I) Under “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India” - saving of ₹13001.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2018) was due to availability of unspent balance of previous years.